छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-16

रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013

(फाल्गुन-20, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि - माननीय सदस्यगण, राष्ट्रकुल संसदीय संघ के सदस्य देश, प्रतिवर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को राष्ट्रकुल दिवस के रूप में मनाते हैं।

तद्नुसार आज सोमवार, दिनांक 11 मार्च, राष्ट्रकुल दिवस है। इस वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने **Opportunity Through Enterprise.** सूत्र को वर्ष 2013 का आधार बनाया है।

विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी आज राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, सिद्धांतों, मूल्यों, आस्थाओं एवं परम्पराओं के लगभग दो अरब नागरिकों का समूह है। विश्व के 54 सदस्य देशों में विस्तारित इस संगठन की सफलता का आधार है- परस्पर सद्भाव, समझ-बूझ तथा असहमति एवं असमानता के होते हुए भी परस्पर सम्मान की भावना से ओत-प्रोत समुदाय की रचना करते हुए विश्व बंधुत्व की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने का दृढ़ संकल्प और वस्तुतः यही हमारे सुनहरे भविष्य, हमारी सुरक्षा, हमारी उन्नति एवं संतुलित विकास का आधार भी है।

वर्ष 2013 के लिए राष्ट्रकुल द्वारा नियत आधार सूत्र **उद्यम के माध्यम से अवसर** हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, कौशल-उन्नयन एवं सकारात्मक सोच के साथ सम-सामयिक परिवेश में उपलब्ध अवसरों को अपने पुरुषार्थ एवं उद्यम के माध्यम से अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। विशेष रूप से युवा वर्ग वर्तमान परिवेश में अपने कौशल एवं रचनाधर्मिता का अधिकतम उपयोग कर उपलब्ध अवसरों से लाभान्वित हो सकते हैं।

उद्यमिता का आशय मानव मस्तिष्क की उस रचनात्मक, सकारात्मक क्रियाशीलता से है, जो उसे संघर्षशील, परिश्रमी एवं ऊर्जावान बनाती है। राष्ट्रकुल के समस्त देशों के राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ऐसे प्रगतिशील युवा वर्ग को अधिकाधिक प्रेरित करने की महती आवश्यकता है। **उद्यमिता एवं कर सकने** के संकल्प से ही जनसामान्य के जीवन में नित नये सुधार के सुनहरे अवसर प्रवर्तित किये जा सकते हैं।

वर्तमान राष्ट्रकुल का भविष्य परस्पर विचार-विमर्श, सहयोग, एकजुटता, सहायता एवं आदान-प्रदान पर निर्भर है। राष्ट्रकुल देशों के नागरिकों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं एव सरकारों को ऐसे अवसर निर्मित करने होंगे ताकि जन-सामान्य विशेषकर युवा वर्ग प्रजातांत्रिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए श्रम के महत्व को अंगीकार कर, श्रेष्ठता को हासिल करने में समर्थ हो सके।

आईये, हम सब भी **उद्यम के माध्यम से अवसर** सूत्र को अपना मूल्य मंत्र बनायें और राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर, यह संकल्प लें कि हम सभी परस्पर सहयोग, मेल-जोल एवं समन्वय से एक जागरूक, ऊर्जावान, विकासशील समाज को सृजित करने एवं विश्व बंधुत्व को पुष्पित एवं पल्लवित करने हेतु निरंतर प्रयासरत् रहेंगे।

इस अवसर पर यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

2.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 04, 06, 09 से 13, 20 एवं 21 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 01, 05, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री रूद्र कुमार गुरू, देवेन्द्र बहादुर सिंह, चैतराम साहू, रामदयाल उईके, ह्दयराम राठिया, शिवराज सिंह उसारे, राजकमल सिंघानिया, अमरजीत भगत, धर्मजीत सिह एवं बैदूराम कश्यप अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 20 के प्रस्तुतकर्ता सदस्य श्री रविन्द्र चौबे के स्थान पर श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 20 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं अंतरिम प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन **पटल पर रखा।**

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के उमरपाल ग्राम के कबड्डी मैच के दौरान नक्सलियों की गोलाबारी से एक खिलाड़ी की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने कोरबा जिले में एन.टी.पी.सी. द्वारा राख और तेलयुक्त गंदा पानी प्रवाहित करने से हसदेव नदी का पानी दूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने पटवारियों का मुख्यालय में रहना सुनिश्चित किये जाने, तथा

(2) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने ग्राम पंचायत ढाढूटोला में बुनकर भवन का निर्माण पूर्ण नहीं किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री फूलचंद सिंह, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

श्री भजन सिंह निरंकारी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी पटेल, मोहम्मद अकबर,

(सभापति महोदय (श्री ताम्रध्वज साहू) पीठासीन हुए।)

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, (डॉ.शक्राजीत नायक-अनुपस्थित), गुरूमुख सिंह होरा, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री परेश बागबाहरा, सौरभ सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(श्री लेखराम साहू-अनुपस्थित), सर्वश्री फूलचंद सिंह, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, दूजराम बौद्ध, (नंदकुमार साहू-अनुपस्थित), रामजी भारती, श्रीमती कुमारी मदन साहू, श्री धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 5 (2) पर माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा पूर्ण होने एवं माननीय मंत्री जी का उत्तर आने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री खेदूराम साहू।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राजेश मूणत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21, परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-11 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक, श्री अग्नि चंद्राकर, **मांग संख्या-21 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-36 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, दूजराम बौद्ध, विरेन्द्र कुमार साहू (चर्चा अपूर्ण)

रात्रि 7.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 12 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 21 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा